



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-02
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-02
दूरभाष/Phone: 011-23234092, 2323409
ई-मेल/E-mail : rajbhash.hq@esic.nic.in

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या : ए-49/15/1/2023-रा.भा.

दिनांक : 01.4.2024

सेवा में,

1. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, द्वारका, नई दिल्ली।
2. अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
3. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
4. संकायाध्यक्ष, क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान।
5. निदेशालय(चिकित्सा)दिल्ली/निदेशालय(चिकित्सा)नोएडा।

विषय : वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट वर्ष 2023-2024 के प्रेषण के संबंध में।

महोदय/महोदया,

विदित हो कि सभी निगम इकाइयों द्वारा अपनी इकाई में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल में मुख्यालय भेजी जाना अपेक्षित है।

अतः निवेदन है कि 2023-2024 से संबंधित वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 20.04.2024 तक मुख्यालय को अनिवार्य रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि मुख्यालय द्वारा श्रम मंत्रालय को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में अनावश्यक विलंब न हो। संबंधित रिपोर्ट का प्रपत्र इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

अनुलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

Signed by Shyam Kumar

Date: 01-04-2024 17:49:19

(श्याम कुमार)

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

प्रति:-

वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इस पत्र को क.रा.बी. निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

राजभाषा हिन्दी के प्रयोग संबंधी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट का प्रोफार्मा

मंत्रालय / विभाग का नाम

:

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

वर्ष : 2023-2024

संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/ उपक्रम का नाम :

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(Employees State Insurance Corporation)

संबंधित राजभाषा अधिकारी का नाम

:

दूरभाष नं.

:

मोबाइल नं.

:

ईमेल आइ डी

:

क्षेत्र (क/ख/ग)

:

1. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन जारी किए गए कागजात

:

(क) जारी कागजात की कुल संख्या

:

(ख) इनमें से केवल अंग्रेजी में जारी किए गए कागजात

:

2. हिन्दी में पत्राचार (राजभाषा नियम - 5)

(क) हिन्दी में प्राप्त कुल पत्र

:

(ख) कितनों का उत्तर हिन्दी में दिया गया

:

(ग) कितनों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया

:

(यह सूचना कार्यालय पद्धति मैनुअल अध्याय 4 पैरा 12(1) द्वारा निर्धारित डायरी रजिस्टर से दी जाए।)

3. मूल पत्राचार - पत्रादि

(क) हिन्दी में भेजे गए

:

(ख) अंग्रेजी में भेजे गए

:

(ग) द्विभाषी रूप में भेजे गए

:

4. फ़ाइलों पर हिन्दी में कार्य

(क) वर्ष के दौरान लिखी गई टिप्पणियों की कुल संख्या

:

(ख) हिन्दी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या

:

(ग) अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या

:

5. अधिकारियों/ कर्मचारियों के राजभाषा हिन्दी के ज्ञान की स्थिति

(क) अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या

:

(ख) उपर्युक्त (क) में से हिन्दी का कार्यसाधक या उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त

:

अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या

(ग) उपर्युक्त (ख) में से हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या

:

(घ) उपर्युक्त (क) में से कितने अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी का प्रशिक्षण पा रहे हैं

:

(ड) हिन्दी के प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या

:

6. टंकक/आशुलिपिक

टंकक आशुलिपिक योग

(क) कुल संख्या

:

(ख) जो दोनों भाषाओं (हिन्दी-अंग्रेजी) में टंकण/आशुलिपिक करना जानते हैं

:

(ग) जो अंग्रेजी टंकण/आशुलिपि का कार्य करना जानते हैं

:

(घ) कुल टंकण/आशुलिपि कार्य की तुलना में हिन्दी टंकक/आशुलिपि कार्य की प्रतिशतता :

7. कंप्यूटर/ लैपटाप आदि से संबंधित विवरण तथा कंप्यूटर प्रशिक्षण की स्थिति

(क) कंप्यूटर/ लैपटाप की कुल संख्या

:

(ख) हिन्दी में काम करने की सुविधायुक्त

:

- (ग) यूनिकोड समर्थित कंप्यूटर/ लैपटाप की संख्या :
- (घ) केवल अंग्रेजी में काम करने की सुविधायुक्त :
- (ङ) कुल अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या :
- (च) कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या :

8. बेवसाइट की उपलब्धता

- (क) बेवसाइट आंशिक रूप से हिन्दी में :
- (ख) बेवसाइट पूरी तरह से द्विभाषी रूप में :
- (ग) बेवसाइट केवल अंग्रेजी में :

9. संपूर्ण कार्य हिन्दी में करने के लिए अनुभागों की विनिर्दिष्ट करने से संबंधित स्थिति

- (क) कुल अनुभागों की संख्या :
- (ख) हिन्दी में काम करने के लिए विनिर्दिष्ट अनुभागों की संख्या :

10. राजभाषा कोड/ मैनुअल की उपलब्धता

(सांविधिक/कार्यालयीन/तकनीकी साहित्य)

क्र.सं.	श्रेणी	कुल संख्या	द्विभाषी	केवल अंग्रेजी में	केवल हिन्दी में	द्विभाषी अथवा हिन्दी में न होने के कारण
1	अधिनियम/ नियम					
2	कार्यालयीन कोड/मैनुअल					
3	मानक फार्म					
4	तकनीकी साहित्य					
5	प्रशिक्षण साहित्य/सामग्री					
6	अन्य प्रकाशन					
	कुल योग					

11. शीर्षस्थ प्रशासनिक बैठकें

- (क) वर्ष के दौरान हुई शीर्षस्थ प्रशासनिक बैठकों की संख्या :
- (ख) ऐसी कितनी बैठकों में वार्तालाप/कार्रवाई पूरी तरह से हिन्दी में की गई :

12. मंत्रालय /विभाग आदि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

- वर्ष के दौरान कितनी बैठकें आयोजित की गई :
- (वि.रा.का.स. की बैठकों की तिथि) :

13. वर्ष के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य विशिष्ट उपलब्धियों / कार्यों का संक्षिप्त द्विभाषी विवरण -

इकाई अध्यक्ष की मुहर	मंत्रालय/ विभाग/कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर :
	पदनाम :
	दूरभाष सं. :
	फैक्स सं. :
	ई-मेल :
अध्यक्ष का नाम:	

विशेष टिप्पणी :

- यह रिपोर्ट राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष से हस्ताक्षरित न होने की स्थिति में लौटा दी जाएगी।
- कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट से दी जाए।
- रिपोर्ट भेजने से पूर्व आंकड़ों की पुष्टि तथा गणना/मिलान अवश्य कर लें।